न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, फतेहपुर, जिला सीकर।

पीठासीन अधिकारी : : विकास ऐचरा, RJS (DJ Cadre)

दीवानी नियमित अपील संख्या 19/2025

सीएनआर नंबर RJSK160003062025

1. पीर गुलाम नसीर उम्र 48 वर्ष सज्जादानशीन एवं मुतवल्ली, दरगाह ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमूद्दीन, फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान।

---अपीलार्थी/वादी

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त नगर परिषद फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान।
2. सभापति नगर परिषद फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान।
3. कनिष्ठ अभियंता नगर परिषद फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान।
4. प्रबंधक मैसर्स कृषि इन्फ्रास इण्डिया प्रा. लि. शाखा फतेहपुर, देवड़ा हाउस गफफार खान दवा खाना के पास फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान।
5. जिला कलक्टर सीकर, जिला–सीकर, राजस्थान।
6. तहसीलदार पदेन भू–धारक तहसील–फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान।

--- प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

सिविल नियमित प्रथम अपील अंतर्गत आदेश 41 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल मूल वाद सीआईएस संख्या 29/2022 (बी.टी. नंबर 86/2022) (36/2016) शीर्षक अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल फतेहपुर आदि बनाम पीर गुलाम नसीर आदि में श्री अजय कुमार पूनिया वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश फतेहपुर, जिला सीकर, द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.06.2025 के विरुद्ध

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी ।
2. श्री मोहम्मद आरिफ, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. श्री अनिल बाटड़, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से।
4. प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

:: निर्णय :: **दिनांक 18.03.2026**

1. अपीलार्थी पीर गुलाम नसीर द्वारा यह अपील याचिका विद्वान विचारण न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश फतेहपुर की ओर से शीर्षक प्रकरण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल फतेहपुर आदि बनाम पीर नसीर गुलाम आदि दीवानी मूल वाद सीआईएस संख्या 29/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई है जिसका इस आदेश के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादीगण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल फतेहपुर ने वाद संख्या 11/2015 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश फतेहपुर में किये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2016 को राजीनामा वादी द्वारा तथ्यों को बदलकर तैयार करवाये जाने व हस्ताक्षर करवा लिये जाने के आधार पर आरंभतः शून्य घोषित किये जाने हेतु पेश किया गया। जिसके खण्डन में प्रतिवादी संख्या 1 ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पक्षकारों के समझौते के अनुसार विधिसम्मत तरीके से पारित किये जाने तथा उसके द्वारा समझौता शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने व समझौता वैध होने का कथन करते हुए वाद अस्वीकार किया गया।

3. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गये–

1. **आया निर्णय व डिक्री दिनांकित 04.01.2016 उनवानी पीर गुलाम नसीर बनाम अधिशाषी अधिकारी आदि दावा संख्या 11/15 नंबर 778/2015 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश फतेहपुर गलत रूप से प्रस्तुत करवाये गये राजीनामा के आधार पर वाद की प्रकृति के विपरीत पारित होने से आरंभतः शून्य है?**

वादी

2. **आया वादी वादपत्र में वर्णित विवादित संपत्ति के संबंध में वांछित उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार है ?**

वादी

3. **आया दावा धारा 11 सि.प्र.सं. के अंतर्गत विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है ?**

प्रतिवादी संख्या 1

4. **आया वाद वादी कानूनन मेंटेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है ?**

प्रतिवादी संख्या 1

5. **आया वाद कम न्यायशुल्क पर पेश किया है इसलिए वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है?**

प्रतिवादी संख्या 1

6. **आया वाद कारण प्राप्त नहीं होने से वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है?**

प्रतिवादी संख्या 1

7. **आया प्रतिवादीगण विशेष हर्जा खर्चा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?**

प्रतिवादी संख्या 1

8. **अनुतोष ?**

4. साक्ष्य वादी में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप पीडब्लू. 1 हितेश चौधरी को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श–19 प्रदर्शित करवाये।

5. साक्ष्य प्रतिवादीगण में प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप डीडब्लू 1 पीर गुलाम नसीर व डीडब्लू 2 जय कौशिक को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श ए–1 से ए–28 प्रदर्शित करवाये गये।

6. साक्ष्य समाप्ति के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर निर्णय दिनांक 30.06.2025 पारित करते हुए वाद इस स्वतंत्रता के साथ खारिज किया गया कि वादीगण विवादित निर्णय व डिक्री को **RECALL** किये जाने के संबंध में इस निर्णय के एक माह के भीतर विधिनुसार आवेदन पेश करने को स्वतंत्र रहेंगे, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है जिस पर बहस अपील सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. अपील पर बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा साक्ष्य व दस्तावेजों के विपरीत जारी की गयी है। विचारण न्यायालय के समक्ष कुल सात विवाद्यक विरचित थे जिनमें विचारण न्यायालय को सभी विवाद्यकों पर निर्णय करना आवश्यक था किन्तु विचारण न्यायालय ने प्रकरण का अंतिम निष्कर्ष करते हुए केवल विवाद्यक संख्या 4 का ही निर्णय किया है। आदेश

23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार हस्तगत वाद प्रारंभ से ही पोषणीय नहीं था इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को **RECALL** बाबत आवेदन पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया गया है तथा इस अवसर की स्वतंत्रता की हद तक डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष निर्णय व डिक्री को **RECALL** करने का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया था। इसके बावजूद न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को इसकी अनुमति दी गयी है इसलिए परिसीमा अवधि के अंदर पेश की गयी तथा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की पर्याप्त न्यायशुल्क पर प्रस्तुत हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2025 में निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2016 में **RECALL** किये जाने के संबंध में उस निर्णय से एक माह के भीतर विधिनुसार आवेदन पेश करने हेतु दी गयी स्वतंत्रता की हद तक उपर्युक्त निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपने उपर्युक्त कथनों के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत–

1. **Akella Lalitha Vs Konda Hanumantha Rao On 28 July 2022 Civil Appeal No. 6325–6326**

2. **Trojan & Co. Ltd Vs Rm.N.N.Nagappa Chettiar On 20 March 1953** पेश किये गये।

8. उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से तर्क किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के अनुरूप है। अतः हस्तगत अपील खारिज की जावे ।

9. उभयपक्ष को सुनने व सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांकित 30.06.2025 के आक्षेप के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह हैः–

क्या विद्वान विचारण न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश फतेहपुर द्वारा दीवानी वाद संख्या 29/2022 बउनवानी अधिशाषी अधिकारी वगैरह बनाम पीर गुलाम नसीर वगैरह में निर्णय दिनांक 30.06.2025 पारित किये जाने में किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक भूल कारित की गयी है ?

10. (i) उपर्युक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अपीलाधीन पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 4 "**आया वाद वादी कानूनन मेंटेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है"** के विवेचन के पश्चात् प्रकरण का निस्तारण किया गया है।

(ii) इस संबंध में यद्यपि अपीलार्थी का आक्षेप रहा है कि विचारण न्यायालय को सभी विवाद्यकों पर अपना विनिश्चय दिया जाना आवश्यक था लेकिन क्योंकि न्यायालय द्वारा उपर्युक्त विधिक विवाद्यक के विनिश्चय के आधार पर ही **वाद विधितः पोषणीय नहीं होने** से अन्य विवाद्यकों पर निष्कर्ष किया जाना उचित नहीं पाया गया है तथा वाद का विनिश्चय अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं किया गया है बल्कि वादी/प्रत्यर्थी का वाद खारिज किया गया है। इसके अतिरिक्त वाद को अस्वीकार किये जाने के संबंध में अपीलार्थी को भी कोई आपत्ति नहीं है बल्कि अपील का मूल आधार न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 04.01.2016 को RECALL किये जाने के संबंध में एक माह की अवधि में आवेदन पेश करने हेतु प्रत्यर्थी को दी गयी स्वतंत्रता से संबंधित है।

(iii) इस प्रकार से यद्यपि सामान्यतया विचारण न्यायालय को विरचित किये गये समस्त विवाद्यकों का निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है किन्तु हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा विधितः पोषणीय होना नहीं पाया गया है तथा न्यायालय द्वारा स्वयं यह तय किया जा चुका है कि वाद मेंटेनेबल ही नहीं है तब न्यायालय के लिये अन्य शेष विवाद्यकों पर अपना मत व्यक्त करना आवश्यक नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 4 के अतिरिक्त अन्य विवाद्यकों का विनिश्चय नहीं किये जाने के संबंध में अपीलार्थी की आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है।

(iv) उपर्युक्त के अतिरिक्त अपीलार्थी का दूसरा आक्षेप प्रश्नगत वाद आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार प्रारंभ से ही पोषणीय नहीं होने तथा प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष निर्णय व डिक्री को RECALL करने का कोई आवेदन पेश नहीं किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को RECALL बाबत आवेदन पेश करने हेतु अवसर प्रदान किये जाने के विषय में रहा है।

(v) इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वाद संख्या 11/2015 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश फतेहपुर के समक्ष पेश किया गया था जिसमें दिनांक 04.01.2016 को प्रस्तुत राजीनामा में खसरा नंबर 1036, 1037, 1038 व 1039 में वर्णित भूमि में से नगरपालिका मण्डल फतेहपुर द्वारा सिविर लाइन निकालने का कार्य नहीं किये जाने के साथ ही उपर्युक्त भूमि के कब्जे व स्वामित्व के संबंध में भी अंकन किया गया था। उपर्युक्त राजीनामा के आधार पर वाद दिनांक 04.01.2016 को डिक्री किया गया था जिसके विरुद्ध वाद संख्या 36/2016 बीटी नंबर 86/2022 (सीआईएस नंबर 29/2022) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश फतेहपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा गलत रूप से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर निर्णय व डिक्री प्रारंभतः शून्य होने के आधार पर अनुतोष चाहा गया। उपर्युक्त वाद समझौता डिक्री के संबंध में होने तथा आदेश 23 नियम 3 ए सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार जिस पर डिक्री आधारित है वह समझौता विधिपूर्ण नहीं होने के आधार पर डिक्री को अपास्त करने के लिये वाद लाया जाना विधि द्वारा वर्जित होना विधि द्वारा विहित व उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत तथ्य है एवं विचारण न्यायालय के द्वारा भी आदेश 23 नियम 3 ए सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के आधार पर ही विवाद्यक संख्या 4 "**आया वाद वादी कानूनन मेंटेनेबल नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।"** का विनिश्चय करते हुए वाद विधितः पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया है।

(vi) इस प्रकार से वाद को खारिज किये जाने के संबंध में अपीलार्थी को भी कोई आपत्ति नहीं है किन्तु वाद खारिज करने के साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा वादी को विवाद्यक निर्णय व डिक्री को RECALL किये जाने के संबंध में निर्णय के एक माह के भीतर विधिनुसार आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है तथा अपीलार्थी के अनुसार उपर्युक्त अनुतोष वादी द्वारा वाद में नहीं मांग लिये जाने के बावजूद न्यायालय द्वारा स्वतः दिया गया है जिसकी न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं थी एवं अपने इन आक्षेपों के समर्थन में न्यायिक विनिश्चय **Akella Lalitha Vs Konda Hanumantha Rao On 28 July 2022 Civil Appeal No. 6325-6326 व Trojan & Co. Ltd Vs Rm.N.N.Nagappa Chettiar On 20 March 1953** पेश किये गये हैं। किन्तु आक्षेपित निर्णय में न्यायालय द्वारा आवेदन पेश करने हेतु दी गयी स्वतंत्रता कोई आदेश नहीं होकर विधि द्वारा विहित एक विकल्प दर्शित किया गया है। इस कारण उपर्युक्त न्यायिक विनश्चियों

से तथ्यों की भिन्नता के कारण अपीलार्थी को इस अपील में कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वादी को आवेदन पेश करने हेतु दी गयी स्वतंत्रता के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर अनुतोष प्रदान नहीं किया गया है बल्कि केवल सुस्थापित विधि को स्पष्ट किया गया है।

अनुतोष

11. परिणामतः विचारण न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश फतेहपुर द्वारा दीवानी वाद संख्या 29/2022 बउनवानी अधिशाषी अधिकारी वगैरह बनाम पीर गुलाम नसीर वगैरह में निर्णय दिनांक 30.06.2025 पारित किये जाने में किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक भूल कारित किया जाना नहीं पाया जाता है जिससे हस्तगत अपील को अस्वीकर कर विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय व डिक्री को पुष्ट किया जाना उचित पाया जाता है।

–आदेश–

12. अतः अपीलार्थी पीर गुलाम नसीर द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त अपील याचिका विरूद्ध रेस्पोडेन्टस अधिशाषी अधिकारी वगैरह अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आलौच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2025 को पुष्ट किया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं वहन करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब भेजी जावे।

(विकास ऐचरा)
अपर जिला न्यायाधीश,
फतेहपुर जिला सीकर

13. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.03.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास ऐचरा)
अपर जिला न्यायाधीश,
फतेहपुर जिला सीकर